न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 155/2023 — निर्णय दिनांकः 28.02.2025

ऑनलाईन नम्बर 2023/237

अखाराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. बीरबलराम रामूराम जाति जाट निवासी कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

3. पेमा पुत्री गणेशाराम जाति जाट निवासी कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
4. लालूराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
5. तोलाराम पुत्र पारादेवी पुत्री गणेशाराम जाट निवासी कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—गौण अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री मोहनलाल सोनी अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से
4. अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी निम्नलिखित प्रकार से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है कि प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 299 तादादी 20.7000 हैक्टेयर वाकेराही कल्याणसर की रोही में स्थित है। प्रार्थी के इस खेत में ट्यूबवैल बना हुआ है। प्रार्थी के खेत के पूर्वी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 का खेत स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 लडाईखोर व्यक्ति है तथा हर सम झगडा फसाद करता रहता है। प्रार्थी के खेत में आने जाने का एक रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में से होकर गुजरता है। अप्रार्थी संख्या 1 के खेत के मध्य ढाणी बनी हुई है, अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिवार वाले प्रार्थी से रंजिश व ईर्ष्या रखते है । प्रार्थी के पुत्र के साथ अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र अन्यों के साथ मिलकर मारपीट करके गंभीर चोटे पहुंचाई थी जिसके संबंध में न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीडूंगरगढ व बालक न्यायालय में फौजदारी प्रकरण चल रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 के खेत का खसरा नम्बर 311 रोही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ में है। प्रार्थी के खेत में आने जाने का रास्ता गुवाड़ से कल्याणसर से लिखमीसर जाने वाले

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:22:22 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

कटाणी मार्ग सडक से दक्षिणी तरफ फंटकर कालूराम पुत्र मांगूराम जाट के खेत से होकर अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 311 में से होता हुआ प्रार्थी के खेत में जाता है। उक्त कटाणी मार्ग पर बहुत वर्षो पहले सरकार द्वारा सड़क भी बनाई जा चुकी है। यह सडक पूर्व से पश्चिम चलती है जो गांव कल्याणसर से लिखमीसर जाती है। यह सडक खसरा नम्बर 304/305 व खसरा नम्बर 302 में दक्षिण तरफ से होकर जाती है । प्रार्थी अपने गांव से अपने खेत आने के लिए इसी सडक सडक आता है। प्रार्थी इस सडक से खसरा नम्बर 311 के पूर्वी तरफ स्थित कालूराम पुत्र मांगूराम जाट के खेत में से होता हुआ अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में प्रवेश करता है तथा खसरा नम्बर 311 में स्थित रास्ता से अपने खेत में जाता है तथा खसरा नम्बर 311 में स्थित रास्ता से अपने खेत में आवागमन करता है। प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र के साथ मौका का नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया है जिसको नजरी नक्शा में दर्शाया हुआ है। प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 311 में से होकर चल रहे रास्ता से होकर गुजरना पडता है। यह वर्तमान रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में बनी ढाणी के बिलकुल नजदीक से होकर गुजरता है, जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 1 ईर्ष्या व रंजिशवंश इस वर्तमान रास्ता पर कभी खाई खोदकर, कभी कंटीने भींटके डालकर अवरोध करता रहता है तथा प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को हमेशा दुर्व्यवहार करता रहता है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के परिवार के मध्य गंभीर फौजदारी प्रवृति का मुकदमा चल रहा है । प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में ढाणी के पास से गुजरने वाले रास्ता से आवागमन करना में खतरो से खाली नही है। अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिवारजन प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारवालो के साथ कभी भी अनहोनी कर सकते है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का खेत चीपाचीप स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 के खेत की पश्चिमी सींव सींव रास्ता 4.30 मीटर चौड़ा 260 मीटर लम्बा प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए उचित व छोटा रास्ता है जो आवश्यक रास्ता भी है। इसी रास्ता को नजरी नक्शा में दर्शाया गया है। यह रास्ता सडक से ही दक्षिण तरफ अप्रार्थी संख्या 1 के खेत की पश्चिमी सींव सींव है। संलग्न रास्ता में मार्क A से B जो सींव सींव रास्ता है, धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कटाणी मार्ग तय किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। यह रास्ता सबसे ज्यादा उचित व न्याय संगत है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से दिनांक 31.07.2023 को निवेदन किया कि संलग्न नक्शा में A से B जो रास्ता वर्णित किया हुआ है को सहमति से कटाणी मार्ग राजस्व रिकार्ड में अंकित करवा देवें और नियमानुसार प्रार्थी से राशि प्राप्त कर लेवें तो अप्रार्थी संख्या 1 ने ऐसा करने से इन्कार हो गया। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया। नजरी नक्शा में A से B जो रास्ता है वो लघुतम रास्ता है, इस रास्ता से किसी भी पक्ष को असुविधा व परेशानी नही होगी। वादगत खेत व धारा 251 (क) के अन्तर्गत रास्ता गांव कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ की रोही में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। गौण अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 299 के संयुक्त खातेदार होने से पक्षकार बनाये गये है, कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रार्थी धारा 251 (क) के अन्तर्गत चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 1 को राशि अदा

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:42:28 IST
Reason: SelfAttested

करने को तैयार है। अतःप्रार्थना पत्र पेश करके अर्ज है कि नजरी नक्शा मार्ग A से B मार्क को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता अंकित करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 2 को जारी करने की कृपा करे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। स्टेट की और से मौका रिपोर्ट पेश की गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 299 के दक्षिण सींव–सींव एक प्रचलित रास्ता जाता है। प्रार्थी इसी रास्ते से आवागमन करता है, खसरा नम्बर 310 से होकर अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में से होकर जो रास्ता है, वह रास्ता मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में आवागमन का रास्ता है, यह रास्ता चालू है, आवागमन में कोई रूकावट नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित तथ्य वास्तविकता के विपरित दर्ज करवाये होने से स्वीकार नहीं, इन्कार किया जाता है । धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवश्यकता का रास्ता मिलता है, ना की सुविधा । प्रार्थी हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से सुविधा का रास्ता चाहता है, जो कानून नहीं दिया जा सकता। प्रार्थी के साथ अप्रार्थी संख्या 1 का कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चल रहा है। फौजदारी मुकदमा चलने से कानून नहीं बदल जाते, ना ही फौजदारी मुकदमा रास्ता देने का आधार हो सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 के खेत के पश्चिमी सीमा के चिपाचिप कोई रास्ता नही है। प्रार्थी द्वारा वर्णित रास्ता अस्तित्व में हीं नहीं है। प्रार्थी सुविधा का रास्ता मांगता है, जो धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अवधारणा के विपरित है, कानून बिल्कुल स्पष्ट है कि धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकार आवश्यकता का रास्ता मांग सकता है, ना कि सुविधा का । प्रार्थी सुविधा का रास्ता चाहता है, जो नहीं दिया जा सकता। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में नहीं आता है। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सुविधा का रास्ता ना मांगा जा सकता है, ना दिया व दिलवाया जा सकता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खिलाफ कानून है और इसी आधार पर काबिले खारिज है।दिनांक 31.07.2023 को मुझ अप्रार्थी से प्रार्थी की कोई बातचीत नहीं हुई । एक तरफ तो प्रार्थी कहता कि फौजदारी मुकदमा चल रहा है, दूसरी तरफ निवेदन करने की बात कहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत व [illegible] तथ्यों पर आधारित है, जो खिलाफ कानून प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा इस मद [illegible] वर्णित रास्ता आवश्यकता का ना होकर सुविधा का है, जो कानूनन नहीं [illegible] प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में नहीं आता है, इसलिये सुनवाई योग्य नहीं है।

3

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:12:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में ही नहीं आता है तो राशि अदा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार नहीं, इन्कार किया जाता है। प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 299 में उसके खेत की दक्षिणी के समान्तर रास्ता गुजरता है, जो चालू है। खसरा नम्बर 299 में दो प्रचलित मार्ग है। प्रार्थी मुझ अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 311 की पश्चिमी सीमा के सामान्तर खसरा नम्बर 299 तक नया मार्ग रेकार्ड व मौके पर कायम कराना चाहता है, जिसकी अनुमति धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नहीं देता है । धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि काश्तकार द्वारा मांगा गया रास्ता अत्यधिक आवश्यकता का होना चाहिये, यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं होना चाहिये तथा अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया जाना चाहिये । हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 299 की दक्षिणी सींव के समान्तर रास्ता विधमान है, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में नहीं आता है, इसी आधार पर काबिले खारिज है। प्रार्थी क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आया है, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय बोर्ड ऑफ रेवन्यू राजस्थान, अजमेर के न्यायिक दृष्टान्त 2021(1)डीएनजे(रेवन्यू.) पृष्ठ संख्या 681 से 685 पेश की गई।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 03.01.2024 के अवलोकन से प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 299 में दो प्रचलित मार्ग गुजरतें है। प्रार्थी अपनी सुविधा के अनुसार नया रास्ता कायम करवाना चाहता है। जबकि प्रार्थी को अपनी जोत तक पहुंचने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। धारा 251(क) के तहत मांगा गया रास्ता सुविधा का ना होकर आवश्यकता का होना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा अपनी सुविधानुसार नया रास्ता मांगा गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में नही आता है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 28.02.2025 को मेरे द्वार लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:22:22 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ